

Fourteenth Loksabha**Session : 5****Date : 24-08-2005****Participants : [Singh Smt. Pratibha](#)**

an>

Title : Need to declare Giripar area of Sirmaur District and certain areas of Kully and Shimla Districts of Himachal Pradesh as Scheduled Tribes Areas.

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की दो तहसीलों, राजगढ़ एवं शिलाई का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं तहसील रेणुका तथा पांवटा साहब के कुछ भाग, जिन्हें गिरिपार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उनके 392 गांवों में 1,89,968 लोग रहते हैं, जिनमें से 65,317 लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले हैं। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भााई दृष्टि से आज भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए इस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए।

इसके अतिरिक्त जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत पाली तथा जिला शिमला की तहसील रामपुर के छुआरा विकास खंड एवं तहसील रोहडू की ग्राम पंचायत किन्नू (6/20) को भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, क्योंकि यह अतिदुर्गम तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भााई दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है।